न्यायालय सहायक, कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

पीठासीन अधिकारी – रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 06/21 वाद GCMS NO : 2021/00073

पूर्व प्रकरण संख्या : 86/15

1. श्री रघुवीरसिंह पिता लालसिंहजी राजपूत, निवासी बेड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्री कालूसिंह पिता लालसिंहजी राजपूत, निवासी बेडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
3. श्रीमती शोभा कुंवर पत्नी लालसिंहजी राजपूत, आयु वयस्क, निवासी बेड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर

.....वादीगण

बनाम

1. श्री लालसिंह पिता प्रतापसिंहजी राजपूत, निवासी बेडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
2. श्रीमती रतनकुंवर पुत्री प्रतापसिंहजी पत्नी श्री खुमानसिंहजी राजपूत, निवासी वेला का गुड़ा, भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर
3. श्रीमती सोहन कुंवर पुत्री प्रतापसिंहजी पत्नी श्री मोहनसिंहजी राजपूत, निवासी नाकोडा नगर, उदयपुर
4. श्री मनोहरसिंह पिता श्री केशरसिंहजी राजपूत, निवासी बेडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
5. श्री अभयसिंह पिता श्री केशरसिंहजी राजपूत, निवासी बेडवास तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर
6. श्रीमती निशा पत्नी विष्णुकुमार, निवासी 84 कुम्हारवाडा उदयपुर
7. श्रीमती मीना पत्नी नरेश पटेल, निवासी सी–2 प्रतापनगर उदयपुर
8. श्री राज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर

वाद अन्तर्गत धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थितः– श्री धनसिंह सिसोदिया अधिवक्ता वादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.06 11:05:46 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 28.06.2024

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि वादीगण ने उक्त वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर यह निवेदन किया है वादीगण एवं प्रतिवादीगण 1 से 5 के स्वामित्व, अधिपत्य की मौरूसी कृषि भूमि मौजा बेड़वास, तहसील गिर्वा उदयपुर के आराजीयात आराजी संख्या 2022, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2040, 2041, 2110, 2148, 2149, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2213 कुल किता 25 कुल रकबा 4.0700 हैक्टयर है। उक्त कृषि भूमि वादीगण संख्या 1, 2 के दादाजी तथा वादी संख्या 3 के ससुर प्रतापसिंह जी के नाम खाते में अंकित थी किन्तु प्रतापसिंह का स्वर्गवास हो जाने से विरासत का नामान्तरकरण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नाम खोला गया। उक्त कुलिया कृषि भूमि एकमात्र प्रतिवादी संख्या एक की नहीं होकर वादीगण का भी उक्त कृषि भूमि में हित एवं अधिकार निहित है। वादग्रस्त आराजीयात के मूल पुरूष केसरसिंह थे जिनका स्वर्गवास हो गया। उनके चार पुत्र प्रतापसिंह, गुलाबसिंह, मनोहरसिंह व अभयसिंह हुए, जिसमें प्रतापसिंह का स्वर्गवास हो गया उनके एक लड़का प्रतिवादी संख्या 1 तथा दो लडकियां प्रतिवादी संख्या 2 व 3 हैं। मनोहरसिंह तथा अभयसिंह रघुबीर सिंह कालसिंह प्रतिवादी संख्या 4 व 5 हैं। प्रतिवादी संख्या 1 के 2 पुत्र वादी संख्या 1 व 2 हैं तथा पत्नी वादी संख्या 3 है। गुलाबसिंह द्वारा अपनी कृषि भूमि को प्रतिवादी संख्या 6 को विक्रय करना खाते की नकल देखने पर जाहिर आया है। यह कि उक्त कृषि भूमि मौरूसी कृषि भूमि में वादी संख्या 1 व 2 के दादा जी का 1/4 हिस्सा होकर खातेदार काश्तकार थे जिससे उक्त कृषि भूमि में वादीगण का संयुक्त रूप से 3/48 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/48 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। जब तक उक्त कृषि भूमि का विधिक रूप से विभाजन नहीं हो जाता है तब तक उक्त कृषि भूमि में प्रत्येक इंच भूमि पर सब का बराबर अधिकार प्राप्त है ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जाना न्यायोचित एवं आवश्यक है। वादकारण दिनांक 17—5—2015 को स्थान बेडवास में उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 6 व 7 ने मौके पर आकर धमकी दी कि उक्त कृषि भूमि उनके द्वारा क्रय कर ली गयी है जिससे उक्त कृषि भूमि उन्हें सिपुर्द कर दे। अतः निवेदन है कि वादग्रस्त भूमि में वादीगण को संयुक्त रूप से 3/48वें (तीन बटा अडतालीसवें हिस्से के खातेदार काश्तकार घोषित फरमाया जावे तथा खाते में वादीगण का नाम अंकित कराया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि जब तक उक्त कृषि भूमि की विधिक रूप से खातेदारी की घोषणा व विभाजन नहीं हो जावे तब तक उक्त कृषि भूमि को कृषि से अकृषि में परिर्णित नहीं करें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.06 11:05:46 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 से 7 को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं करने से प्रतिवादी का जवाब अवसर बंद किया जाकर प्रकरण में तनकीयात कायम की गई।

न्यायालय द्वारा निम्न तनकीयात कायम की गई :-

1. आया वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित कृषि भूमि मौरूस होने से वादीगण, खातेदार घोषित करा, वादीगण खाते में नाम अंकित कराने का अधिकार है

.....वादीगण

2. आया वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित कृषि भूमि के सम्बन्ध में वादीगण, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

....वादीगण

3. अनुतोष।

वादी द्वारा साक्ष्य PW1 रघुवीरसिंह पिता लालसिंह व PW2 शोभा कुंवर पत्नि लालसिंह का शपथ पत्र पेश किया गया। दस्तावेज प्रदर्श कराए गए। ग्राम बेड़वास जमाबन्दी सम्वत् 2063-2066 खाता संख्या 263 प्रदर्श 1, जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 खाता संख्या 366 प्रदर्श 2, , जमाबन्दी सम्वत् 2070-2073 खाता संख्या 272 प्रदर्श 3, वादी के आधार कार्ड की फोटोप्रति प्रदर्श 4ए है। प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 5 के अधिवक्ता द्वारा जिरह नही करने से प्रतिवादी संख्या 2, 3 व 5 के जिरह अवसर बंद किए जाकर प्रकरण साक्ष्य प्रतिवादी हेतु नियत किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1, 4, 6 व 7 उपस्थित नहीं हुए। न्यायाय द्वारा रूक रूक कर तीन बार आवाज लगाई गई। बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिससे प्रतिवादी संख्या 1, 4, 6 व 7 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

प्रतिवादी को साक्ष्य हेतु पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद साक्ष्य पेश नहीं करने से प्रतिवादी का साक्ष्य अवसर बंद किया जाकर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

विद्वान वादी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता द्वारा बहस में अपने वाद पत्र में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया गया कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.06 11:05:46 IST
Reason: SelfAttested

वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं प्रतिवादीगण की मौरूसी भूमि होने से वादीगण का उस भूमि में हक व हिस्सा निहित है। वादग्रस्त आराजीयात के मूल पुरूष केसरसिंह थे। उनके चार लड़के प्रतापसिंह, गुलाबसिंह, मनोहरसिंह व अभयसिंह हुए। प्रतापसिंह का स्वर्गवास हो गया उनके एक लड़का लालसिंह तथा दो लडकियां रतनकुंवर व सोहनकुंवर है। वादग्रस्त मौरूसी भूमि में वादी संख्या 1 व 2 के दादा जी का 1/4 हिस्सा था जिससे वादीगण का संयुक्त रूप से 3/48 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/48 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का संयुक्त रूप से 1/6 हिस्सा अनुसार खातेदारी अधिकारों की घोषणा खातेदार अधिकारों की घोषणा कराए जाने का अधिकारी है।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। विद्वान वादी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। वादीगण के पिता लालसिंह पिता प्रतापसिह राजपूत जो प्रतिवादी संख्या 1 है, जिनको प्राप्त कृषि भूमि उनके पिता से प्राप्त हुई। उक्त भूमि में वादीगण का जन्म से ही हिस्से अनुसार हक है। वादीगण के पिता अभी जीवित है एवम् वादीगण का कथन है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 उक्त भूमि में से भू माफियों से मिलिभगत कर भूमि का बेचान कर रहे है। अतः वादीगण को वाद वर्णित आराजीयात की मौरूसी जायदाद होने के कारण उनको खातेदार घोषित किया जावे।

न्यायालय द्वारा निम्न तनकीयात कायम की गईः–

1. आया वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित कृषि भूमि मौरूस होने से वादीगण, खातेदार घोषित करा, वादीगण खाते में नाम अंकित कराने का अधिकार है

.....वादीगण

➢ तनकी संख्या 1 को साबित कराने का दायित्व वादीगण का है। वादीगण द्वारा अपने वाद के समर्थन में दस्तावेज प्रस्तुत किए गए। दस्तावेजों के अवलोकन पश्चात् न्यायालय का मानना है कि वादग्रस्त आराजीयात वर्तमान राजस्व रेकार्ड में वादीगण के पिता प्रतिवादी संख्या 1 लालसिंह पिता प्रतापसिंह अभी जीवित है। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि उक्त भूमि में वादीगण व प्रतिवादी संख्या जो पिता व पुत्र है, जो सभी मिलकर सयुक्त काश्त करते है। अतः प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण के पिता है, के जीवित रहते वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः यह तनकी वादीगण के विरूद्ध तय की जाती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.06 11:05:46 IST
Reason: SelfAttested

2. आया वाद पत्र की कलम संख्या 1 में अंकित कृषि भूमि के सम्बन्ध में वादीगण, प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने के अधिकारी है।

....वादीगण

- तनकी संख्या 2 को साबित कराने का दायित्व वादीगण का है। पत्रावली का अवलोकन एवं पत्रावली संलग्न दस्तावेजों के आधार पर उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के पिता से प्रतिवादीगण को जरिये विरासत के नामान्तरण द्वारा प्राप्त हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 जो वादीगण के पिता है, के नाम वर्तमान राजस्व रेकार्ड में अंकन भूमि में वादीगण का मौरूसी सम्पत्ति होने के कारण हक हिस्सा निहित है। अतः न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि प्रतिवादीगण अपने हक हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान नहीं कर सकता है। अतः प्रतिवादीगण को इस आश्य से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है कि अपने हिक हिस्से से ज्यादा भूमि का बेचान नहीं करें। अतः तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

उक्त तनकीवार विवेचन से तनकी संख्या 1 वादीगण के विरूद्ध तथा तनकी संख्या 2 वादीगण के पक्ष में तय साबित कराने में सफल हुए है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तवेजों व तनकीवार विवेचन से न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी होने से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम विरासत से राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुई है। प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है तथा वादग्रस्त आराजीयात मौरूसी भूमि होने से वादीगण का इस भूमि में हक हिस्सा निहित है। चूंकि प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है तथा वर्तमान में अभी जीवित है इसलिए पिता के जीवित रहते वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को इस आशय से स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से कब्जे की जमीन का बेचान नहीं करें। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर (फा.ट्रे.)
गिर्वा – उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.06 11:05:46 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकद्मे इब्तदाई
(आदेश 20 के नियम 6 और 7 सि.प्र.सं.)

न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक गिर्वा, उदयपुर मुकाम गिर्वा–उदयपुर पीठासीन अधिकारी रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. मुकद्मा 06/21 सन 2021 (1) श्री रघुवीरसिंह पिता लालसिंहजी राजपूत, निवासी बेड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (2) श्री कालूसिंह पिता लालसिंहजी राजपूत, निवासी बेडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (3) श्रीमती शोभा कुंवर पत्नी लालसिंहजी राजपूत, आयु वयस्क, निवासी बेड़वास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर बनाम (1) श्री लालसिंह पिता प्रतापसिंहजी राजपूत, निवासी बेडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (2) श्रीमती रतनकुंवर पुत्री प्रतापसिंहजी पत्नी श्री खुमानसिंहजी राजपूत, निवासी वेला का गुड़ा, भीमल, तहसील मावली, जिला उदयपुर (3) श्रीमती सोहन कुंवर पुत्री प्रतापसिंहजी पत्नी श्री मोहनसिंहजी राजपूत, निवासी नाकोडा नगर, उदयपुर (4) श्री मनोहरसिंह पिता श्री केशरसिंहजी राजपूत, निवासी बेडवास, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (5) श्री अभयसिंह पिता श्री केशरसिंहजी राजपूत, निवासी बेडवास तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर (6) श्रीमती निशा पत्नी विष्णुकुमार, निवासी 84 कुम्हारवाडा उदयपुर (7) श्रीमती मीना पत्नी नरेश पटेल, निवासी सी–2 प्रतापनगर उदयपुर (8) श्रीराज्य जरिये तहसीलदार गिर्वा, उदयपुर वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का यह मुकद्मा आज वास्ते अन्तिम निपटारा किये जाने रमेश सीरवी पुनाड़िया, आर.ए.एस. के समक्ष प्रस्तुत हुआ। श्री धनसिंह सिसोदिया अधिवक्ता वादी की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 को इस आशय से स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण के हक हिस्से कब्जे की जमीन का बेचान नहीं करें। निर्णय सरेईजलास सुनाया गया।

और इस वाद के खर्चे लेखे ....रुपये की राशि ....आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर ....प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित ....द्वारा ....को दी जाए।

यह आज तारीख ....माह ....सन् .... को मेरे से हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई।

हस्ताक्षर न्यायाधीश ....
पद ....

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	पैसे	प्रतिवादी	रुपया	पैसे
वाद पत्र के लिए स्टाम्प			स्टाम्प प्रार्थना पत्र		
स्टाम्प वकालात नामा			स्टाम्प वकालतनामा		
प्रदर्शो के लिए स्टाम्प			प्रदर्शो के लिए स्टाम्प		
मेहनताना वकील) पर			मेहनताना वकील) पर		
खर्चा गवाह			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
आदेशिका की तामील			आदेशिका की तामील		
विविध खर्चे			विविध खर्चे		
योग			योग		

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.08.06 11:05:46 IST
Reason: SelfAttested